न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 157/25 GCMS NO 2025/

1. रामराज पुत्र हरफूल
2. हनुमान पुत्र हरफूल
3. सम्पत पुत्री कंवरपाल
4. जादू पुत्र कंवरपाल समस्त जातियान मीना निवासीयान रॉवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

वनाम

1. सुरता पुत्री श्योफूल
2. ऋषिराज पुत्र रमेश
3. विक्रय पुत्र रमेश
4. विकास पुत्र रमेश
5. कविता पुत्री रमेश
6. शकुन्तला पत्नि रमेश
7. केली पुत्री हरफूल
8. सम्पत पुत्री श्योदास
9. अविनाशी लाल पुत्र हजारी लाल समस्त जातियान मीना निवासी रॉवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर
10. शाखा प्रवंधक वैक ऑफ वडौदा शाखा रॉवल तहसील सवाई माधोपुर
11. शाखा प्रवंधक वैक ऑफ वडौदा शाखा खिलचीपुर तहसील सवाई माधोपुर
12. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 35/24 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री राधेश्याम वैष्णव

दिनांक 18.5.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 13.6.25 न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीयां/रेस्पो0 संख्या 1 ने वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादियां एवं प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

संख्या 1 लगायत 13 के स्वामित्व व आधिपत्य की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम रॉवल तहसील व जिला सवाई माधोपुर के हाल खाता संख्या 23,24,471 मे संयुक्त रूप से दर्ज है। राजस्व जमाबंदी के अनुसार वादिया 1/3 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। राजस्व जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 23,24 व 471 मे अंकित भूमिया इस प्रकार है। खाता संख्या 23 मे अंकित भूमि खसरा न0 1541 रकबा 0.21 है0 किस्म बारानी अव्वल , खाता संख्या 24 मे अंकित कृषि भूमि खसरा न0 1251 रकबा 0.10 है0, 1388 रकबा 0.13 है0, 1453 रकबा 0.11 है0, 1454 रकबा 0.13 है0, 1551 रकबा 0.05 है0, 1837 रकबा 0.05 है0, 1838 रकबा 0.17 है0, 1968 रकबा 0.26 है0, 229/3922 रकबा 0.14 है0, 230 रकबा 0.13 है0, 3124 रकबा 0.17 है0, 3280 रकबा 0.04 है0, 3281 रकबा 0.08 है0, 3283 रकबा 0.18 है0, 3696 रकबा 0.10 है0, 417 रकबा 0.45 है0, 419 रकबा 0.10 है0, 435 रकबा 0.30 है0, 444 रकबा 0.18 है0, 454 रकबा 0.45 है0, 513 रकबा 0.20 है0, 514 रकबा 0.10 है0, 820 रकबा 0.30 है0 कुल किता 23 कुल रकबा 3.92 है0 दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 471 मे अंकित कृषि भूमि खसरा न0 2494 रकबा 0.36 है0, 2519 रकबा 0.19 है0, 2520 रकबा 0.13 है0, 2594 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.79 है0 दर्ज है। इस प्रकार कुल रकबा 4.91 है0 दर्ज रिकार्ड है। जिसमे वादिया का 1/3 हिस्सा अर्थात 1.63 है0 हिस्से की वादिया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 हाल खाता संख्या 23,24 व 471 के रिकार्डेड खातेदार है। वादिया ने प्रतिवादीगण से दिनांक 28.2.24 को तहसील मे चलकर आपसी सहमति से विभाजन कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये एवं वादिया को धमकी दी गई कि आपके हिस्से की भूमि पर कब्जा करेगे। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने विभाजन कराने से इंकार किये जाने से तकासमा हेतु वाद करना आवश्यक हुआ। अतः वाद पत्र वादिया इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम रॉवल तहसील सवाई माधोपुर के खाता संख्या 23, 24 व 471 मे अंकित कृषि भूमि कुल रकबा 4.91 है0 मे से 1/3 हिस्से का सेपरेट विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे इन्द्राज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादिया के हिस्से 1/3 के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही किसी दीगर व्यक्ति से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादिया द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया का वाद पत्र उभयपक्ष की आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 24.10.24 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर से तकासमा स्कीम तलब की जाकर मुताबिक तकासमा स्कीम वादिया का वाद पत्र फाईनल डिक्री किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण/प्रतिवादीगण संख्या 6, 7 व 9 तथा 10 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो एवं कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पृथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि दिनांक 26.3.24 को वादिया का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गलत रूप से दिनांक 30.7.24 को जबाब दावा पेश करने का कथन कर पत्रावली वास्ते तनकीयात आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.8.24 नियत की गई तथा उसके पश्चात जनरल नोटिस से तारीख दी जाकर दिनांक 24.10.24 को बिना किसी तनकी कायम किये सीधे ही उपरोक्त अपीलाधीन आदेश व डिक्री पारित कर दी गई जबकि कानून के प्रावधानो के तहत वाद पत्र पेश होने पर जबाब दावा लिया जाकर तनकीयात कायम कर पत्रावली पर वादी एवं प्रतिवादीगण एवं उनके गवाहो के साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक इश्यू पर विचारण न्यायालय को अपना मत पारित करना चाहिए। लेकिन उक्त प्रकरण मे ना तो तनकीयात कायम की गई ना ही वादी एवं उनके गवाहो एवं प्रतिवादीगण के गवाह या अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी के बयान दर्ज तक नही कराये और जल्दबाजी मे उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.25 को विधि विरूद्व तरीके से पारित कर दी जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रारंभिक डिक्री मे 53 के तहत वाद पत्र स्वीकार कर बंटवारा किया गया है तथा डिक्री जारी नही की गई है तथा वाद पत्र 53 के अलावा 188 आर टी एक्ट का भी था उसके बाबत किसी प्रकार का कोई आदेश व डिक्री पारित नही की है इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य को एक्जीविट नही कराया गया तथा बिना एक्जीविट दस्तावेज के उसे साक्ष्य मे नही पढा है हास्यप्रद है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जल्दबाजी मे पारित की है जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। प्रतिवादी सांवली पत्नि श्योदास की मृत्यु दिनांक 18.7.24 को ही निर्णय स डिक्री से पूर्व हो चुकी है तथा मृत व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार का आदेश व डिक्री प्रारंभ से ही शून्य आदेश की श्रेणी मे आता है। इस प्रकार के आदेश व डिक्री से किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार हासिल नही होते है। इस प्रकार मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित आदेश विधि अनुसार शून्य है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जल्दबाजी मे पारित की है। जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण की जो तामील कराई है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वह आर्डर 5 नियम 17 के विपरीत है तथा कुछ सम्मनो पर उनके पृष्ठ भाग पर तामिल कराने वाले का हस्ताक्षर तक नही है ना ही अपीलांट को कभी कोई नोटिस सम्मन प्राप्त हुए है। बिना विधिवत तामिल के उपरोक्त पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है तथा जमाबंदी मे दुरूस्ती एक मात्र घोषणा के उपरान्त ही की जा सकती है । जब सम्पत श्योदास की पुत्री ही नही है तो बिना घोषणा के राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन नही किया जा सकता है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रारंभिक स्तर पर ही प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त नही हुआ है। ना ही अपीलांट अपना पक्ष तहत न्यायालय मे रख पाये है। इस कारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। जमाबंदी मे गलत प्रविष्टि सम्पत पुत्री श्योदास दर्ज है। जबकि सम्पत व श्योदास आपस मे भाई बहन है तथा सुरता के पिता श्योफूल पगडी अपीलाट जादू पुत्र कंवरपाल मीना निवासी रॉवल के बंधी थी तथा श्योफूल के समस्त कियाकर्म नुकता वगै0 अपीलांट जादूलाल ने सम्पादित किये तथा मौके पर श्योफूल की समस्त आराजी पर जादूलाल काबिज काश्त रहकर लाभान्वित होता चला आ रहा है। वादिया का उक्त आराजी से कोई सबंध वास्ता नही है, इस बात पर गौर किये बिना ही उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून पारित की है जो निरस्तनीय है। विधि सम्मत तरीके से तहसीलदार सवाई माधोपुर को मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम स्वयं की मौजूदगी मे तैयार करनी थी लेकिन आपसी साज कर भू अभिलेख निरीक्षक खिलचीपुर व पटवारी हल्का रांवल ने तहसील कार्यालय मे बैठकर बंटवारा स्कीम अपीलांट की गैर मौजूदगी मे तैयार करवा दी जबकि बंटवारा स्कीम पर अपीलांट को किसी प्रकार का कोई सूचना नोटिस तहसील कार्यालय से नही दिया गया है इस प्रकार तहत न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नही किया है इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। रेस्पो0 संख्या 1 मौके पर किसी व्यक्ति को लेकर खेत पर आई और कहा कि यह जमीन है इसे मुझे बेचना है तब अपीलांट जादूलाल ने कहा कि यह क्या कर रही है यह जमीन मेरे कब्जे मे है तुम कैसे बेच सकती हो तब उसने कहा कि मेने कोर्ट से जमीन मेरे नाम लगवा ली है और अब जमीन को बेचान करूगी। इस प्रकार अपीलांट को जानकारी होने पर नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.25 को पेश करने पर दिनांक 15.12.25 को नकल प्राप्त की गई। इस प्रकार जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद एवं धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.25 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलाट/प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा पेश नही किया है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.6.24 को जबाब दावा पेश किया गया। जिसकी ताईद अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जबाब दावे से होती है। जहॉ तक तनकीयात कायम करने का प्रश्न है तो जब प्रतिवादीगण द्वारा तकासमा करने की सहमति प्रदान की गई है तो तनकीयात कायम करने की कोई आवश्यकता नही रहती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी कारण तनकीयात कायम नही की गई है एवं उक्त कारण से ही किसी प्रकार की साक्ष्य कराई गई है। वाद पत्र उभयपक्ष की आपसी सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्राथमिक डिक्री की जानकारी अपीलांटगण को शुरू से ही रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सवाई माधोपुर को बंटवारा स्कीम मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिये गये। जिससे स्पष्ट है कि बंटवारा स्कीम तैयार करने के सबंध मे किसी प्रकार के नोटिस पक्षकारो को दिया जाना आवश्यक नही होता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम मण्डल के नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का रॉवल द्वारा मौके पर तैयार की गई है। पक्षकारो के मध्य विवाद होने के कारण बंटवारा स्कीम तैयार करते वक्त उपस्थित व्यक्तियो द्वारा बंटवारा स्कीम पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया है। इसी प्रकार जहॉ तक सांवली के दौराने दावा फौत होने का प्रश्न है तो मृतक सांवली की और से अधिवक्ता किस प्रकार से हाजिर हुए है एवं किस प्रकार से जबाब दावा पेश किया है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा फर्जकारी करते हुए वकालतनामा व जबाब दावा पेश किया है। इसके साथ ही यदि सांवली दौराने दावा फौत हुई थी तो इसके सबंध मे अपीलांट को न्यायालय के समक्ष ध्यान आकर्षित करना चाहिए था। वादियां को उसकी मृत्यु के सबंध मे जानकारी नही होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्य नही रखे गये है। परन्तु जो बंटवारा स्कीम तैयार की गई है उसमे मृतक सांवली को उसके हिस्से अनुसार हिस्सा प्रदान किया गया है। जिस पर सांवली के वारिसान का हक एवं अधिकार है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे किसी भी दस्तावेज को एक्जीविट नही कराया है परन्तु उनके द्वारा यह स्पष्ट नही किया कि किस प्रकार के दस्तावेज को एक्जीविट नही कराया गया है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन सावित नही है। वादग्रस्त आराजीयात वादियां एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है। जिसमे वादिया का 1/3 हिस्सा निहित होने के कारण उसको तकासमा कराने का विधिक अधिकार हासिल होने के कारण ही तकासमे का वाद प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत ही वादग्रस्त आराजीयात का विधिवत रूप से बंटवारा किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। क्योकि हस्तगत बंटवारा गलत हुआ हो इसके सबंध मे अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई कथन बहस के दौरान नही किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट को बंटवारे पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही रही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम रॉवल तहसील सवाई माधोपुर के खाता संख्या 23, 24 व 471 की आराजीयात कुल रकबा 4.91 है0 वादिया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजीयात रही है। जो जमाबंदी सम्वत 2073–76 के अवलोकन से स्पष्ट है। इस प्रकार संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का बंटवारा कराने का संयुक्त खातेदारान को हक एवं अधिकार हासिल है। वादिया द्वारा विधिवत रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दिनांक 24.10.24 को प्राथमिक डिक्री किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से पूर्व प्रतिवादियां सांवली की मृत्यु दिनांक 18.7.24 को हो चुकी है जबकि निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिक्री दिनांक 13.6.25 को पारित की गई है। अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध छाया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सांवली पत्नि श्योदास से होती है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि बंटवारा स्कीम पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर नही है बंटवारा स्कीम अपीलांटगण की अनुपस्थिति मे तैयार की गई है। अपीलांट अधिवक्ता के उक्त कथन की पुष्टि भी पत्रावली मे उपलब्ध बंटवारा स्कीम से होती है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण अर्थात अपीलांट की गैर हाजरी दर्ज की जाकर वाद पत्र एक पक्षीय रूप से निर्णित किया है। जबकि वादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी की आराजीयात रही है। जिसमे वादी एवं प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक बिन्दुओ को नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को मृतक सावंली पत्नि श्योदास के कायम मुकामान को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए तथा बंटवारा स्कीम उभयपक्ष की उपस्थिति मे तैयार करवाई जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 35/24 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.6.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे मृतक सावंली पत्नि श्योदास के विधिक वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाते हुए तथा वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम उभयपक्ष की उपस्थिति मे माननीय मण्डल के निर्देशान्तर्गत नियम 18 से 21 की पालना मे तैयार करवाई जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 22.6.26 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.5.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर